विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र० - 5980
माननीय सदस्य का नाम - श्री मोती कश्यप
सदन की बैठक का दिनांक - 27.03.17

(1)

परिशिष्ट-अ

(पेज 1 से 2 तक)

जनसंकल्प 2008 में प्राप्त बिन्दुओं पर क्रियान्वयन

जनसंकल्प–2008 कार्यक्रम में विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही की जानकारी

विभाग का नाम – मछली पालन विभाग

स.क्र.	बिन्दु कमांक	विषय	वस्तु स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	1	मत्स्य पालन के लिये मॉझी समाज की संस्थाओं व मछुआरों को विशेष सुविधाऐं दी जाऐंगी ।	मत्स्य पालन के लिये मॉझी समाज की संस्थाओं व मछुआरों को विशेष सुविधाऐं दी जाऐंगी के अन्तर्गत विभागीय योजनाओं से नाव, जाल एवं इन्सूलेटेड बॉक्स उपलब्ध कराये गए है,	पूर्ण सतत है वर्ष 2008–09 से क्रियाशील
2	3	मछुआरों को नाव परिवहन में प्रयुक्त अने वाली प्रदूषण मुक्त सुविधायुक्त नावों के संसासधनों को उपलब्ध कराया जावेगा ।	जलाशयों के जलक्षेत्र की आवश्यकता अनुसार वांछित आकार/प्रकार के नाव, जाल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 हमें रूपये 84.80 लाख से 542 नाव, 4785 किलोग्राम धागा एवं 219 साईकल–सह–इन्सूलेटेड बॉक मछुआरों को उपलब्ध कराऐं गये है । वर्ष 2010–11 में एम0पी0डब्ल्यू0एस0आर0पी0 योजनान्तर्गत राशि रूपये 39.09 लाख से 5588 किलोग्राम जाल 165 नाव एवं 39 इन्सूलेटेड बॉक्स तथा वर्ष 2011–12 में एम0पी0डब्ल्यू0एस0आर0पी0 योजनान्तर्गत 149 नाव 4068 जाल 154 इन्सूलेटेड बॉक्स प्रदाय किये गये।	पूर्ण सतत है वर्ष 2008–09 से क्रियाशील
3	6	नगरों एवं गांव में मछली बाजारों को सर्व सुविधा युक्त बनाये जाने हेतु प्रयास किये जायेंगे ।	एन0एफ0डी0बी0 योजनान्तर्गत बड़े मतस्य बाजारों तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत छोटे मत्स्य बाजारों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसके दिशा निर्देश संचालनालयीन पत्र क्रमांक 1526 दिनांक 09–07–2013 से जारी किए गए हैं।	पूर्ण सतत है
4	8	नौका निर्माण के लिये शासकीय लकडी व जाल हेतु धागा सस्ते दर पर उपलब्ध करवाया जायेगा ।	मछुआरों को नौका निर्माण के लिये शासकीय लकडी वन विभाग से सस्ते दर पर उपलब्ध कराने हेतु संचालनालयीन पत्र क्रमांक 1507 दिनांक 30–07–2009 से समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके है तथा मछुआरों को जाल हेतु धागा विभाग की विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाता है ।	पूर्ण सतत है

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन

प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट 'ग्यारह'
प्रश्न सं. [क्र. 5980]
[27/3/2017]

(2)

जनसंकल्प 2013 में प्राप्त बिन्दुओं पर क्रियान्वयन

जनसंकल्प–2013 कार्यक्रम में विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी

विभाग का नाम – मछली पालन विभाग

क्र	बिन्दु क्र.	जनसंकल्प	वस्तुस्थिति	अद्यतन स्थिति–पूर्ण / पूर्ण सतत /अपूर्ण
1	1	**मछुआरों हेतु विशेष बीमा पालिसी**	मछुआरों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना विभाग में तथा जनश्री बीमा योजना मत्स्य महासंघ में संचालित है। वर्ष 2015–16 में विभाग द्वारा 180988 तथा वर्ष 2016–17 में 184933 मछुआरों का दुर्घटना बीमा कराया गया ।	पूर्व से लागू, पूर्ण सतत है।
2	2	**मत्स्य उत्पादन क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास। इस हेतु मत्स्यबीज उत्पादन भी वर्तमान से लगभग डेढ़ गुना किया जावेगा।**	मत्स्य उत्पादन हेतु वर्तमान में 4.04 लाख हैक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिसका 98 प्रतिशत मत्स्य पालन अन्तर्गत है। वर्ष 2012–13 में मछली बीज उत्पादन 79.80 करोड़ था जो कि वर्ष 2016–17 में माह जनवरी 2017 तक 109.00 करोड़ किया जा चुका है, जो लक्ष्य से लगभग सवा गुना (1.36 गुना)से अधिक हो चुका है । वर्ष 2017–18 में डेढ़ गुना मत्स्य बीज उत्पादन कर लिया जावेगा।	पूर्व से लागू, पूर्ण सतत है।
3	3	**वंशानुगत मत्स्य सहकारी समितियों को तालाब / जलाशय में मत्स्य पालन में प्राथमिकता।**	वंशानुगत मत्स्य सहकारी समितियों को तालाब/जलाशय में मत्स्य पालन में प्राथमिकता का मत्स्य पालन नीति 2008 में समावेश है।	पूर्व से लागू, पूर्ण सतत है।
4	4	**मछली पालने एवं पकड़ने हेतु आधुनिक नाव तथा जाल आदि उपकरण खरीदने हेतु अनुदान।**	विभागीय योजनाओं यथा मछुआ सहकारिता तथा मत्स्य पालन प्रसार में प्रावधान है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत जाल क्रयकरण पर 50 प्रतिशत अनुदान की कार्ययोजना चालू की गई है जिसके दिशा निर्देश संचालनालयीन पत्र क्रमांक 1526 दिनांक 09–07–2013 से जारी किए जा चुके हैं।	पूर्व से लागू, पूर्ण सतत है।
5	5	**वर्तमान मत्स्य पालन नीति की कण्डिकाओं में उचित परिवर्तन करते हुए नावघाट, रेतघाट एवं सिंघाड़ा, कमल गट्टा की फसलों हेतु नई नीति का सृजन।**	विभाग से संबंधित भाग पूर्ण सतत् है क्योंकि सिंघाड़ा, कमलगट्टा की फसलों का मछुआ नीति 2008 में समावेश है। नाव घाट एवं रेतघाट के नीति संबंधी भाग आयुक्त पंचायत राज विभाग से संबंधित होने के कारण उनको पत्र क्रमांक 2840 दिनांक 16/09/2016 एवं क्रमांक 4663 दिनांक 25/01/2017 से स्मरण कराते हुये उक्त भाग को विभाग के बिन्दु से विलोपित करने हेतु उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया है।	**विभाग से संबंधित बिन्दु पूर्व से लागू एवं पूर्ण सतत** । नाव घाट एवं रेत घाट के संबंध में आयुक्त पंचायत राज विभाग को लिखा गया है।
6	6	**सड़क पर खुले में मछली विक्रय के स्थान पर थोक एवं फुटकर मत्स्य बाजारों की उपलब्धता हेतु 20 बड़े आधुनिक बाजार तथा 500 नए छोटे बाजार विकसित कर सुविधायुक्त मछली मार्केट का विकास।**	राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड हैदराबाद एवं बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज से बड़े मत्स्य बाजार तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से छोटे मत्स्य बाजारों का निर्माण किया जा रहा है । शासन पत्र क्रमांक एफ 5–9/2012/06 दिनांक 21–09–2012 से निर्देश जारी किए गए है।	पूर्व से लागू, पूर्ण सतत है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय

उप संचालक मत्स्योद्योग
संचालनालय मत्स्योद्योग